

(b) if so, the details thereof, state-wise?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) and (b) Conscious of the need to have a strong infrastructure in order to achieve accelerated economic development, the Government is endeavouring through various policy and promotional measures to attract investment both domestic and foreign in the infrastructure sector. Several infrastructure related industries are included in Annexure-III of the Statement of the Industrial Policy 1991 under which automatic approval is given by the Reserve Bank of India for foreign investment provided the equity does not exceed 51%.

कुशल/कार्य-कुशल श्रमिकों की कमी

213. श्री राम जेठमलानी: क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में कुशल/कार्य-कुशल श्रमिकों की कमी महसूस की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सर्वेक्षण कराकर यह पता लगाने के लिए अशिक्षित श्रमिक, शिक्षित श्रमिक और अत्यधिक तकनीकी शिक्षा प्राप्त श्रमिक की उत्पादकता में कितना-कितना अन्तर होता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है;

(घ) सरकार द्वारा देश में श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं गत तीन वर्षों के दौरान लागू की गई हैं;

(ङ) इसके फलस्वरूप कितने-कितने श्रमिकों को एक वर्ग से दूसरे वर्ग में पहुंचाया जा सका है; और

(च) इस संबंध में सरकार की भावी योजना क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सम्म फटल पर रख दी जायेगी।

पिछड़े क्षेत्रों में चीनी मिलों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन

214. श्री नागमणि:

श्री ईशदत्त यादव:

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय चीनी मिलों की स्थापना हेतु क्या-क्या प्रोत्साहन दिये जाते हैं;

(ख) क्या पिछड़े क्षेत्रों में भी चीनी मिलों को स्थापित करने के लिए बढ़ावा देने हेतु कोई योजना विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत और अधिक चीनी मिलों की स्थापना हेतु राज्य-वार क्या कदम उठाये गये हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) से (घ) 7-9-1990 से 31-3-1994 के दौरान नई चीनी मिलें स्थापित करने तथा लाइसेंस मुदा/लाइसेंस प्राप्त किए जाने वाली विस्तार परियोजनाओं की स्थापना के लिए सरकार ने 10 मार्च, 1993 को एक प्रोत्साहन योजना की घोषणा की थी। प्रोत्साहन उच्चतर खुली बिजली कटे के रूप में है जो कि प्रोत्साहन योजना में निर्धारित विभिन्न शर्तों को पूरा किए जाने पर है। प्रोत्साहन योजना मुख्य रूप से 2500 टी०सी०डी० की क्षमता के साथ संस्थापित/विस्तारित चीनी एककों के लिए लागू है। योजना, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा औद्योगिक रूप से पिछड़े घोषित क्षेत्रों में 1750 टी०सी०डी० की न्यूनतम क्षमता के साथ संस्थापित चीनी मिलों पर भी लागू होती है।

मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्रों में योजनाओं हेतु सहायता

215. श्री गोविन्दराम भिरी: क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्रों में केन्द्र सरकार तथा विदेशी सहायता से चलाई जा रही योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) आदिवासी कल्याण योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार तथा विदेशों द्वारा दी जा रही सहायता का ब्यौरा क्या है?